समाचार.प्रकाषनार्थरू.

नगर के स्वच्छ प्रतिश्ठान हुए सम्मानित

रतलाम 14 फरवरी । स्वच्छ प्रतिश्ठान सर्वेक्षण अभियान के तहत नगर के होटलए स्कुलए हॉस्पिटलए ऑफिसए मार्केट एसोषिएषन व हॉकर्स झोन को स्वच्छता एवं इससे संबंधित आवष्यक सुविधाओं के आधार पर अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए भाजपा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री विप्लव जैनए पूर्व महापौर परिशद सदस्य श्री भगतसिंह भदौरियाए उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर श्रीमती दिव्या पाटीदार आदि के द्वारा प्रतिश्ठानों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर भाजपा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री विप्लव जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि देष के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र जी मोदी द्वारा चलाये गये स्वच्छता अभियान से नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जाग्रति देखने को मिल रही है बस हम इतना करें कि इस जाग्रति को ओर अधिक गति देकर रतलाम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 बनायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वागत उदबोधन देते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत स्वच्छता माह पुरे प्रदेष में मनाया जा रहा है जिसके तहत होटलए स्कुलए हॉस्पिटलए ऑफिसए मार्केट एसोषिएषन व हॉकर्स झोन का स्वच्छता सर्वेक्षण मापदण्ड अनुसार किया जा रहा था तय मापदण्डों में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रतिश्ठानों को आज सम्मानित किया जा रहा है।

उन्होने इस अवसर पर आव्हान किया कि रतलाम नगर को स्वच्छ बनाने हेतु नागरिक कम से कम कचरा उत्सर्जित करेंए पॉलीथीनए डिस्पोजल का उपयोग ना करेंए 4 प्रकार के अलग.अलग कचरे के लिये 4 डस्टबीन रखें व निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक.पृथक भागों में डालेंए गीले कचरे से अपने घरों में मटके या बाल्टी में जैविक खाद बनाकर अपने उद्यानों को हरा.भरा रखें। ब्रांड एम्बेसेडर

श्रीमती दिव्या पाटीदार व दीपिका पटेल ने रतलाम नगर को स्वच्छ रखने हेतु प्रेजेन्टेंषन के माध्यम से अपने विचारों से उपस्थितों को अवगत कराया।

स्वच्छ प्रतिश्ठान सम्मान के तहत होटल.समता सागर होटल महू रोड प्रथमए **बालाजी सेन्ट्रल सैलाना रोड द्वितीय**ए **जेएमडी पैलेस सागोद रोड तृतीय**ए **स्कुल.सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल मित्र निवास रोड प्रथम**ए **हिमालय किड्स स्कूल द्वितीय**ए **षासकीय उत्कृश्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल सागोद रोड तृतीय**ए **हॉस्पिटल.आषीर्वाद हॉस्पिटल वेदव्यास कालोनी प्रथम**ए **रतलाम हास्पिटल षास्त्री नगर द्वितीय**ए **आरोग्यम हॉस्पिटल कॉलेज रोड तृतीय**ए **ऑफिस.कार्यालय कलेक्टर महू रोड प्रथम**ए **कार्यालय नगर पालिक निगम कॉलेज रोड द्वितीय**ए **कार्यालय जिला पंचायत कोर्ट तिराहा तृतीय**ए **मार्केट एसोषिएषन. सर्राफा मर्चेन्ट एसोषिएषन प्रथम**ए **क्लॉथ मर्चेन्ट एसोषिएषन द्वितीय**ए **कसेरा मर्चेन्ट एसोषिएषन तृतीय**ए **हॉकर्स झोन.दो बत्ती हॉकर्स झोन प्रथम**ए **कालिका माता हाकर्स झोन द्वितीय व चांदनी चौक हॉकर्स झोन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।**

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए **श्री मोहम्मद हनीफ षेख**ए **सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनी**ए **स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाष आचार्य**ए **निज सहायक श्री सुभाश गोयल**ए **सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह सहित प्रतिश्ठान संचालक**ध्**पदाधिकारी उपस्थित थे।**

15 सफाई मित्रों का 1 दिवस दिवस का वेतन काटा

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 14 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 15 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में जसवंत.रामलालए विषाल.मुकेषए धीरज.रमेषए श्रवण.दिलीपए विषाल.मुकेषए झोन क्रमंाक 2 में सरस्वतीबाई पति धनराजए विमलाबाई पति नारायणए सुनील.ष्यामलालए पुश्पाबाई पति गोपालए संगीताबाई पति हरीषए षकुन्तलाबाई पति अर्जूनए झोन क्रमांक 3 में पवन.राजारामए षुभम्.राजूए मायाबाई पति राजेषए झोन क्रमांक 4 में अंजूबाई पति सतीष बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 14 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 17ण्26 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

सुयोग परिसर से 3 अवैध नल कनेक्षन विच्छेद

रतलाम 14 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 14 फरवरी सोमवार को कुल राषि रूपये 17ए26ए556ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 14 फरवरी सोमवार को संपत्तिकर षिविर से 91157ए कार्यालय 515041ए वसूली दल 396337 कुल 1002535ए जलकर षिविर 46510ए कार्यालय 29490ए वसूली दल 86020 कुल 162020ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 15551 व वसूली दल 30153 कुल 45704ए लीजरेंट 483506ए कम्पाउडिंग 31576ए लायसेंस 1255 इस तरह कुल राषि रूपये 17ए26ए596ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के जलप्रदाय अमले द्वारा सुयोग परिसर से 3 अवैध नल संयोजनों को विच्छेद किया गया।

खुले में गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 14 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 14 फरवरी को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर नन्दकिषोर राजेन्द्र नगर पर 2000ए षिवजी रेस्टोरेंट स्टेषन रोड पर 500ए षर्मा रेस्टोरेंट व कार्तिक रेस्टोरेंट स्टेषन रोड पर 250.250 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताऐं

रतलाम 14 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत जिंगलए मूवीए ड्राइंगए म्यूरल एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया । उन्हीं में से हर एक प्रतियोगिता में से तीन तीन विजेताओं को नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा सम्मानित किया गया।

जिंगल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार शाकिर अली जी कोए द्वितीय पुरस्कार कमल कुमार जीए तृतीय पुरस्कार अभिजीत ऊंटवाल जी को प्राप्त हुआ।मूवी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पुष्पेंद्र चौहान जीए द्वितीय पुरस्कार जोया जमना निनामा जीए तृतीय पुरस्कार अभिषेक कण्डारे जी को प्राप्त हुआ स ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मुस्तफा खान जी कोए द्वितीय पुरस्कार राजेश प्रजापति जी कोए तृतीय पुरस्कार दीपिका डबरे जी को प्राप्त हुआ स नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पुष्पेंद्र चौहान और उनकी टीम के सदस्य कार्तिकए शशांकए धीरेन्द्र कोए द्वितीय पुरस्कार अभिषेक कण्डारे और उनकी टीम के सदस्य ऋतिकए करनए मोहित कोए तृतीय पुरस्कार आदर्श कण्डारे और उनकी टीम के सदस्य सविताए जोयाए दिनकर को प्राप्त हुआ।म्यूरल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार शशांक धवरी कोए द्वितीय पुरस्कार धीरेंद्र सिंह कोए तृतीय पुरस्कार करण भदौरिया को प्राप्त हुआ।नगर पालिक निगम रतलाम ने उनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना की गई।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किया जीरो वेस्ट कार्यक्रम आयोजित

रतलाम 14 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत रतलाम नगर पालिक निगम ने जीरो वेस्ट कार्यक्रम आयोजित किया। प्रेरणा कार्यशाला के तहत आयोजित कार्यक्रम को जीरो वेस्ट कार्यक्रम बनाया गया।कार्यक्रम में सिर्फ काँच की बोतलों का उपयोग किया गया एवं आगंतुकों के लिए पानी के जार रखे गए।किसी भी तरह का डिस्पोज़ल कार्यक्रम में पूरी तरह बैन किया गया।पैर से चलित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग किया गया एवं स्वच्छ कार्यक्रम का बैनर भी कपड़े के द्वारा डिज़ाइन किया गया ।साथ ही हरे हर नीले डस्टबिन्स को उचित दूरी पर रखा गया जिनमे ्हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी " एवं ्हर दिन दो बिन "के संदेश लगाए गए एवं कार्यक्रम को जीरो वेस्ट कार्यक्रम घोषित किया गया।

सायर चबुतरा पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 73ण्4 लाख व जलकर 17ण्57 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 14 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रू व जलकर 54ए850रू.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रू व जलकर 34ए520रू.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013रू व जलकर 63ए450रू.ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292रू व जलकर 1ए19ए720रू.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल

षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000६ व जलकर 14ए000६ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600६ व जलकर 1ए04ए640६ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206६ व जलकर 1ए21ए090६ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व जलकर 27ए540६ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६ व जलकर 40ए240६ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६ व जलकर 31ए760६ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६ व जलकर 64ए770६ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६ व जलकर 28ए140६ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920६ व जलकर 1ए56ए600६ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338६ व जलकर 1ए67ए280६ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541६ व जलकर 76ए625६ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807६ व जलकर 37ए520६ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836६ व जलकर 72ए860६ए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741६ व जलकर 37ए140६ पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036६ व जलकर 89ए570६ए चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकरण्ण्ण की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24

फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

14 फरवरी को 2ए52 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 14 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 14 फरवरी सोमवार को 2ए52 मिट्रिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

14 फरवरी सोमवार को डम्पर से 31280ए टेªक्टर से 11355ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 11495ए काम्पेक्टर गीला कचरा 18780ए डम्पर नाला मलबा 164310ए टेªक्टर नाला मलबा 10285ए मैजिक सूखा 2955 व मैजिक गीला 1990 किलो इस तरह कुल 252450 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 14 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा।

इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 14 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000६़ तथा द्‌वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 196़ हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000६़ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 14 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्‌वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्‌वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 14 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में

जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्14ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्